SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDUR

CODE, 1898

In the court of कुमारी प्रतिष्ठा अवस्थी जेएमएफसी गोहद

प्रकरण क्रमांक 100 / 18

Name and address of the complain म०प्र० शासन द्वारा पुलिस थाना गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

name, parentage, caste and address of accused-

 पंचम सिंह जाटव पुत्र उत्तम सिंह जाटव उम्र उम्र 40 वर्ष निवासी— वार्ड क्व० ७ नहर मोहल्ला गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

The offence complained of, and date of its alleged commission ----

यह कि आपने घटना दिनांक 23.04.2018 को 21:32 बजे वार्ड क0 7 नहर मोहल्ला टंकी के पास गोहद जिला भिण्ड में अंक लिखे सट्टे की पर्चीयों के आधार पर रूपये पैसों की हारजीत का दाव लगवाकर सट्टा खेंला।

तुम्हारा उक्त कृत्य 4 (क) सार्वजनिक द्यूत कीडा अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध होकर इस न्यायालय के संज्ञान विचारण के तहत है तुम दोषी होने का अभिवाक करते हो या प्रतिरक्षा चाहते हो।

The plea of the accused and bis examination [if any]--

Brusia Falance &

4-21 X 1218

प्रतिका अवस्था प्रतिका अवस्था भ विक स्विक्ट्र प्रथम श्रेण

वा विक परिकाट प्रथम शर्ण

The offence proved, if any in, case under clause (d), clause (e), clause (f) or clause (g), of sub-section (1) of section 260, the value of the property in respect of whitch the offence has been committed.

//निर्णय//

(आज दिनांक 18.05.2018 को घोषित किया गया)

- 1. आरोपी/आरोपीगण द्वारा सार्वजिनक द्यूत कीडा अधिनियम की धारा 4 (क) के अपराध की विशिष्टिया पढ़कर सुनायी एवं समझायी जाने पर उसने अपराध करना स्वेच्छा पूर्वक स्वीकार किया है। आरोपी की स्वेच्छा स्वीकृति पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है अतः उक्त स्वेच्छा स्वीकृति के आधार पर उसे धारा 4 (क) सार्वजिनक द्यूत कीड़ा अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्धि ठहराया जाता है।
- 2. आरोपी / आरोपीगण द्वारा की गयी स्वेच्छया स्वीकारोवित के आधार पर आरोपी / आरोपीगण को सार्वजनिक द्यूत कीडा अधिनियम की धारा 4 (क) में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं पांच सौ रूपये के अर्थदण्ड एवं अर्थदण्ड में व्यक्तिम होने पर 5. दिवस के साधारण कारावास के दंड से दण्डित किया जाता है।
- 3. प्रकरण में जप्तशुदा 430 /— रूपये राजसात किये जाते हैं तथा अन्य सामग्री सट्टे की पर्ची एवं पेन्सिल मूल्यहीन होने से नष्ट किये जावे।
- 4. आरोपी स्वतंत्र हों ।

स्थान-गोहद

दिनांक-18/5/18

निर्णय आज दिनांकित एवं

इस्ताक्षरित किया गया

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया